

लोकसुनवाई का वृत्त।

मेसर्स कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, प्रो०- श्री सुदामा कुमार, पिता- श्री रामेश्वर राम, पता-परेओ, थाना-बिहटा, पटना द्वारा सोन-16 बालूघाट मौजा-कटार, प्रखंड-डेहरी, जिला-रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 16.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला-रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2260/2023, dated 31.01.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, अपर समहर्ता, रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 16.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला-रोहतास में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (860 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री भूषण पासवान, ग्राम-वडीहा,जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को रोजगार मिलेगा या नहीं पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस-पास ग्रीनवेल्ड विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2.	श्री नन्हक राम, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खुशी की बात है कि बालू खनन परियोजना शुरू हो रहा है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन बालू खनन नहर के किनारे को किया जाता है। जिससे सोन के किनारे बसे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलस्तर काफी नीचे चला गया है। जिससे पानी की कमी हो गयी है। इसपर ध्यान दिया जाय।
3.	श्री अशिवीनी कुमार पाण्डेय, ग्राम-वडीहा,जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन खोला जा रहा है, बहुत खुशी है। अगल-बगल बालू गिने के बाद सफाई नहीं होने पर दुर्घटना होती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पेड़ लगाने से प्रदूषण खत्म होती है।
4.	श्री भोला राम, ग्राम-वडीहा, थाना-इन्दूपुरी जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन चालू किया जा रहा है। रोजगार के लिए अच्छा है। लेकिन रोजगार तो मिलता है। लेकिन अच्छा से करने नहीं देते हैं। पेड़ लगेगी तो पेड़ को पानी कौन देगा। बालू रोड पर गिर जाता है। जिससे रोड पर धूल बहुत ज्यादा उड़ता है और एक्सिडेंट होने का कारण होता है। इसपर ध्यान दिया जाय।
5.	रफीक अंसारी, ग्राम-वडीहा, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोग को रोजगार मिलना चाहिए। साथ-साथ-ही उनके श्रम का उचित मूल्य दिया जाय।

सुनवाई के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डिहरी, राजस्व अधिकारी, डिहरी तथा जिला खनन पदाधिकारी श्री कार्तिक कुमार भी उपस्थित अपने-अपने विचार रखे :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने चर्चा में भाग लेते हुए बालु परिवहन के दौरान आम तौर होने वाली समस्याओं यथा वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण एवं ट्रेफिक जाम इत्यादि के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात पर बल प्रदान किया गया कि खनन के दौरान एवं खनन उपरान्त सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड का कड़ाई से अनुपालन एवं सतत् निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

चर्चा के क्रम में जिला खनन कार्यालय के तरफ से उपस्थित श्री कार्तिक कुमार, खनन पदाधिकारी ने खनन कार्य हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कार्रवाई अनुमान्य है, जिसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

चर्चा के क्रम में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से परियोजना तथा परियोजना के आलोक में सरकार के द्वारा इस 'जन सुनवाई' के पीछे के निहित उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि संतुलित विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार दृढ़ संकल्पित है कि विकास से पर्यावरण संतुलन एवं आम-जनो की स्वास्थ्य आदि सुविधाओ पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े और इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा इस जन सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि आम जन अपने हितो को बेहतर समझते है और किसी परियोजना के वास्तविक परिचालन हेतु आम जन का पक्ष जानना, उनकी चिन्ताओं/शंकाओं का समाधान करना, उनके सुझावों का नियमानुसार परियोजना परिचालन के क्रम में अंगीकृत करना ही इस सुनवाई का लक्ष्य है।


उनके द्वारा रेखांकित किया गया कि परियोजना के सरकार के मानको/निर्धारित मापदंडों का अनुपालन तथा सतत् अनुश्रवण किया जाना परियोजना के द्वारा अपेक्षित है। उनके द्वारा इस बात को पुनः रेखांकित किया गया कि खनन कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों यथा घाटों के दोनो तटो पर निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर ही खनन करने, खनन के क्रम में नियमानुसार सतह से तीन मीटर की अधिसीमा का अनुपालन करने, खनन क्षेत्र से मुख्य सड़क पर बालु के परिचालन हेतु Haul रोड का निर्माण करने, परिचालन के क्रम में संभावित वायु-प्रदुषण को रोकने हेतु नियमानुसार स्थल पर लगातार पानी छिड़काव करने, परिचालन स्थल के दोनो ओर अवस्थित पौधो/फसलों में सरकार के नियमानुसार पानी छिड़काव करने, पर्यावरण सतुलन हेतु खनन क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपन करने, श्रमिको को कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण देने एवं कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार पर्यावरण अंकेक्षण एवं निगरानी रखने, नियमानुसार परिचालन में व्यवहृत किये जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के निदेशानुसार अनुमान्य क्षमतानुसार ही परिचालन आदि किये जाने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना के संचालक, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी सक्षम प्राधिकार सरकारी मापदण्डों का दृढतापूर्वक अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की सतत् निगरानी एवं अंकेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।


परियोजना स्थल से विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वे विद्यालय में CER (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत अपने स्तर पर AIR-PURIFIER लगाने की संभावना पर विचार करे।

अध्यक्ष द्वारा चर्चा के क्रम में परियोजना में पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाने वाली शमनकारी उपयोग हेतु पूंजी लागत एवं आवर्ती लागत की कर्णांकित राशि में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश देखते हुए इसमे वृद्धि करने हेतु विचार करने का सुझाव दिया गया।

सुनवाई में उपस्थित प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं परियोजना के पर्यावरणीय, सलाहकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि परियोजना को सरकार के निर्धारित मापदण्डों/नियमों के अनुसार ही संचालित होगी और आम जनों को इससे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई/असुविधा नहीं होगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,पटना


अपर समहर्ता
रोहतास

संस कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि०, प्रो०-श्री सुदामा कुमार, पिता-श्री रामेश्वर राम द्वारा रोहतास सोन -16 बालू घाट, मौजा-कटार, अंचल-डेहरी, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय डेहरी,

दिनांक: 16.06.2023

समय-03:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	SANJAY KR. SINDH	श्री श्री संध्या	
2.	अशोक कुमार गुप्ता	श्री श्री पराशरिणी विद्या जुनिफर रोड, पटना	16/6/23
3.	सुनील कुमार शिवेरी	जुनिफर रोड पराशरिणी विद्या	16/6/23
4.	Kerika Kumar	D. M. O., Rohata	
5.	SNEHA	REVENUE OFFICER DEHRI	
6.	Vikash Mishra	Jr Manager Rajm Exim Pvt Ltd	
7.	जि. नंद कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर रोहतास	Anand Kumar
8.	पप्पू - कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	
9.	अश्विनी कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर रोहतास	Ashish Kumar
10.	अजीत कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Ajit Kumar
11.	चंद्र प्रकाश	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	
12.	शिवेश कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	
13.	बलवंत कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Balwant Kumar
14.	वंदी कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Danti Prasad
15.	गुड्डू कुमार	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Guddu Kumar
16.	दामोदर प्रजापति	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Damodar Prajapati
17.	भवय प्रजापति	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Bhavay Prajapati
18.	निर्मल सिंह	वाडिया पी. डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर	Nirmal Singh

19.	लक्ष्मण सिंह	बडिहैं	लक्ष्मण सिंह
20.	जगत सिंह	बडिहैं	जगत सिंह
21.	शिव प्रसाद सिंह	बडिहैं	Shiv Prasad Singh
22.	सुदर्शन प्रजापति	बडिहैं	सुदर्शन प्रजापति
23.	जितेन्द्र कुमार गुप्ता	बडीहैं	जितेन्द्र कुमार गुप्ता
24.	विमलेश कुमार	बडीहैं	विमलेश कुमार
25.	आनन्द कुमार	बडिहैं	Anand Kumar
26.	राजकुमार प्रजापति	बडिहैं	राजकुमार प्रजापति
27.	प्रेम चन्द महुता	बडिहैं	प्रेम चन्द महुता
28.	पुष्पक शर्मा	बडिहैं	पुष्पक शर्मा
29.	रंगनाथ कुमार	बडिहैं	रंगनाथ कुमार
30.	जितेन्द्र सिंह	बडीहैं	Jitendra Singh
31.	विनय कुमार	बडिहैं	विनय - कुमार
32.	दिनेश कुमार	बडीहैं	दिनेश कुमार
33.	अशोक कुमार	बडीहैं	अशोक कुमार
34.	अजय कुमार	बडिहैं	अजय कुमार
35.	संतोष प्रजापति	बडिहैं	संतोष प्रजापति
36.	अपिनाश कुमार	बडिहैं	अपिनाश कुमार
37.	ठामरेश कुमार	बडिहैं	ठामरेश कुमार
38.	चंदन कुमार	बडिहैं	चंदन कुमार
39.	धरेंद्र कुमार	बडिहैं	धरेंद्र कुमार
40.	शिव प्रजापति	बडीहैं	शिव प्रजापति

Handwritten notes and scribbles in the top left corner, including some illegible text and a signature.

41.	मौला राम	बडिहों	मौलाराम
42.	मनोज राम	बडिहों	मनोज राम
43.	विजेंद्र पासवान	बडिहों	विजेंद्र पासवान
44.	दशरथ प्रसाद	बडिहों	दशरथ प्रसाद
45.	रवि कुमार	बडिहों	रवि कुमार
46.	हिरालाल राम	बडिहों	हिरालाल राम
47.	संजय पासवान	बडिहों	संजय पासवान
48.	नरेश कुमार	बडिहों	नरेश कुमार
49.	अशोक/कुमार	बडिहों	अशोक
50.	शिवमुनी पत्नी	बडिहों	शिवमुनी पत्नी
51.	चमंडू सिंह	बडिहों	चमंडू कुमार
52.	मौला पासवान	बडिहों	मौला पासवान
53.	जयशंकर पांडे	बडिहों	जयशंकर पांडे
54.	गोबिंद पासवान	बडिहों	गोबिंद पासवान
55.	कृष्ण कुमार	बडिहों	कृष्ण कुमार
56.	शशी कुमार	बडिहों	शशी कुमार
57.	सरोज पासवान	बडिहों	सरोज पासवान
58.	हीरालाल सिंह	बडिहों	हीरालाल सिंह
59.	सरोज कुमार	बडिहों	सरोज कुमार
60.	अशोक सिंह	बडिहों	अशोक सिंह
61.	क लाल सिंह	बडिहों	क लाल सिंह
62.	राजेश कुमार	बडिहों	राजेश कुमार

63.	Shakti Kumar	शक्ति	Shakti K
64.	Pratik Kumar	प्रतिक	Pratik K
65.	Pankaj Kumar	Bordika	Pankaj-Kumar
66.	Ajay Kumar	Dhoni	Ajay
67.	Mahesh Kumar	महेश	Mahesh
68.	Ravi Ranjan	Enr Consultant Ravi Ranjan	Ravi 16.06.2023
69.	Arun Kumar	Badina	Arun Kumar
70.			